पत्र सं0–टी0आर0यू0/वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट(2019–20)/ 62 /वाणिज्य कर।

कार्यालयः कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
(कर अनुसंधान इकाई)

लखनऊः दिनांक, 26 जुलाई, 2019

समस्त जोनल एडिशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक),
वाणिज्य कर, उ0प्र0।

विषयः–जी0एस0टी0 व्यवस्था में सरकारी विभागों को माल एवं सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दाखिल रूपपत्रों (GSTR-1 व GSTR-3B) तथा टी0डी0एस0 कटौती से सम्बंधित आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर पायी गयी विसंगतियों के सम्बंध में प्राथमिकता पर विधिक कार्यवाही सम्पादित कराते हुए इसमें निहित राजस्व जमा कराये जाने के सम्बंध में।

इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर केन्द्र तथा राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु बजट के माध्यम से पर्याप्त धनराशि आवंटित की जा रही है। इसके अतिरिक्त लगभग सभी सरकारी विभागों द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतु भारी मात्रा में विभिन्न मालों एवं सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त की जाती है। इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निर्माण से सम्बंधित कार्य संविदाओं के माध्यम से कराये जाते हैं। सरकार की एजेन्सीज़ द्वारा प्राप्त की जा रही वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सेवाएं 12 प्रतिशत की दर से करयोग्य हैं। उल्लेखनीय है कि वैट रिजीम में भी कार्य संविदाओं पर अच्छी मात्रा में राजस्व प्राप्त हो रहा था।

सरकारी विभागों द्वारा प्राप्त की जा रही मालों एवं सेवाओं की आपूर्ति पर नियमानुसार करदेयता है तथा आपूर्ति प्राप्त करने वाले सरकारी विभाग से कर की धनराशि वसूल कर राजकोष में जमा कराने का दायित्व सम्बंधित आपूर्तिकर्ता का है। अपेक्षित राजस्व की समय से प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है कि पंजीकृत व्यापारियों द्वारा समय से रिटर्न दाखिला तथा दाखिल रिटर्न्स की स्क्रूटनी सुनिश्चित की जाये।

1. उ0प्र0 एस0जी0एस0टी0 अधिनियम तथा सी0जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा–51 में टी0डी0एस0 के प्राविधान अंकित हैं। टी0डी0एस0 व्यवस्था दिनांक 01.10.2018 से प्रभावी की गयी। टी0डी0एस0 के मद में कटौती हेतु जिम्मेदार व्यक्तियों के टी0डी0एस0 विवरण हेतु रिटर्न प्रारूप जी0एस0टी0आर0–7 दाखिल किये जाने की व्यवस्था है। रिटर्न प्रारूप

Scanned by CamScanner

जी0एस0टी0आर–7 सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों को माल एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाले व्यक्तियों से सम्बंधित सूचना का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। अब तक दाखिल रिटर्न प्रारूप जी0एस0टी0आर–7 की समीक्षा करने पर पाया गया कि उ0प्र0 राज्य में अपेक्षित कुल जी0एस0टी0आर–7 के सापेक्ष अब तक केवल 37 प्रतिशत जी0एस0टी0आर–7 दाखिल हुए हैं, जो संतोषजनक नहीं है।

2. कर अनुसंधान इकाई (टी0आर0यू0) मुख्यालय द्वारा अब तक दाखिल हुए जी0एस0टी0आर–7 से विभिन्न सरकारी विभागों/अर्द्धशासकीय विभागों को मालों एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ताओं की सूची संकलित की गयी तथा विभिन्न सरकारी विभागों को मालों एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाले इन सभी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दाखिल जी0एस0टी0आर0–1 तथा जी0एस0टी0आर–3बी का विश्लेषण किया गया।

3. उक्त सभी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दाखिल जी0एस0टी0आर–1 तथा जी0एस0टी0आर–3बी के विश्लेषण पर 18342 सप्लायर्स के जी0एस0टी0आर0–1 तथा जी0एस0टी0आर0–3बी में घोषित Outward Supplies के समेकित योग में भारी अंतर पाया गया। विश्लेषण पर पाया गया कि उक्त 18342 सप्लायर्स द्वारा जी0एस0टी0आर0–1 की तुलना में जी0एस0टी0आर0–3बी में कुल **रू0 2652 करोड़ करदेयता कम घोषित की गयी है।** स्पष्ट है कि इन व्यापारियों द्वारा रिटर्न प्रारूप 3बी दाखिल करते समय जी0एस0टी0आर0–1 की तुलना में अपनी करदेयता Supress की गयी है। उक्त 18342 सप्लायर्स में से 13693 राज्य कर प्रशासन के क्षेत्राधिकार में है।

जी0एस0टी0 काउंसिल द्वारा गठित "लॉ–कमेटी" के अनुमोदन के उपरान्त Annual return के सम्बंध में सी0बी0आई0सी0 द्वारा एक Press release दिनांक 03.07.2019 को जारी की गयी है। जी0एस0टी0आर0–1 तथा जी0एस0टी0आर0–3बी में अंतर के सम्बंध में इस Press release के निम्न अंश महत्वपूर्ण हैं:–

"It is important to note that both FORM GSTR-1 and FORM GSTR-3B serve different purpose. While FORM GSTR-1 is an account of details of outward supplies, FORM GSTR-3B is where the summaries of all transactions are declared and payments are made. Ideally, information in FORM GSTR-1, FORM GSTR-3B and books of accounts should be synchronous and the values should match across different forms and the books of accounts If the same

Scanned by CamScanner

does not match, there can be broadly two scenarios, either tax was not paid to the Government or tax was paid in excess.''

4. टी0आर0यू0 द्वारा इस सम्बंध में ''पहल 2.1'' शीर्षक से एक विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। टी0आर0यू0 द्वारा मुख्यालय पर आयोजित मासिक समीक्षा बैठक दिनांक 19.07.2019 में इस रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुतीकरण भी किया गया। अध्ययन रिपोर्ट की एक–एक प्रति सभी जोनल एडिशनल कमिश्नर को उपलब्ध करायी जा चुकी है। सभी जोन के उक्त श्रेणी के दस सबसे बड़े मामलों का विवरण टी0आर0यू0 द्वारा प्रस्तुत अध्ययन रिपोर्ट ''पहल 2.1'' के एनेक्ज़र 12 पर अंकित हैं, जिसके सम्बंध में अविलम्ब कार्यवाही अपेक्षित है।
5. राज्य कर प्रशासन के क्षेत्राधिकार के 13693 सप्लायर्स को खण्डवार, सम्भागवार तथा जोनवार चिन्हित करते हुए इनके जी0एस0टी0आर0–1 तथा जी0एस0टी0आर0–3बी के अन्तर की गणना से सम्बंधित Excel sheet तथा टी0आर0यू0 द्वारा प्रस्तुत अध्ययन रिपोर्ट ''पहल 2.1'' की सॉफ्ट कॉपी सभी जोनल एडिशनल कमिश्नर की मेल आई0डी0 पर निम्न निर्देशों के साथ प्रेषित की जा रही है:–

I. प्रेषित अध्ययन रिपोर्ट सभी अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए प्रत्येक जोन में विभागीय अधिकारियों के लिये कार्य संविदा व टी0डी0एस0 कटौती के विषय में एक कार्यशाला का आयोजन किया जाये। इस कार्यशाला में जोनल एडिशनल कमिश्नर सहित विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायें। इस कार्यशाला में टी0आर0यू0 द्वारा प्रस्तुत अध्ययन रिपोर्ट को और बेहतर बनाने हेतु सुझाव भी आमंत्रित किये जायें तथा प्राप्त सकारात्मक सुझावों को संकलित कर दिनांक 16.08.2019 तक टी0आर0यू0 को ई–मेल आई0डी0 **tru.comtaxup@gmail.com** पर उपलब्ध कराया जाये।
II. मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में अंकित व्यापारियों के GSTR-1 व GSTR-3B का परीक्षण प्राथमिकता पर Proper officer द्वारा किया जाये तथा मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों में कोई विसंगति पाये जाने पर इसका विवरण (Excel Sheet में) कर अनुसंधान इकाई, मुख्यालय को दिनांक 30 अगस्त, 2019 तक ई–मेल आई0डी0 **tru.comtaxup@gmail.com** पर उपलब्ध कराया जाये।

Scanned by CamScanner

III. प्रत्येक जोन में जी0एस0टी0आर0–7 के दाखिला की स्थिति की नियमित समीक्षा की जाये तथा दिनांक 30.09.2019 तक सभी वांछित जी0एस0टी0आर0–7 का दाखिला सुनिश्चित किया जाये।

IV. इन सभी मामलों में शीर्ष प्राथमिकता पर विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए समस्त धनराशि की वसूली दिनांक 31.10.2019 तक पूर्ण कर ली जाये।

V. उपरोक्तानुसार निर्देशित समस्त कार्यवाही का अनुश्रवण जोनल एडिशनल कमिश्नर के स्तर से साप्ताहिक रूप से किया जाये तथा इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग हेतु निर्धारित ऑनलाईन मॉड्यूल में प्रत्येक बिन्दु पर पाक्षिक सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाये।

VI. टी0आर0यू0 के परामर्श से आई0टी0 अनुभाग द्वारा इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग हेतु ऑनलाईन मॉड्यूल एक सप्ताह में Develop कर Live किया जाये।

VII. निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः– पृ0प0सं0 एवं0 दिनांक उक्त।
निम्न को सूचनार्थ।

1. ज्वाइण्ट कमिश्नर (आई0टी0) मुख्यालय को प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग हेतु ऑनलाईन मॉड्यूल तैयार कराये जाने हेतु।
2. ज्वाइण्ट डायरेक्टर संख्या को आगामी मासिक बैठकों के एजेण्डा में "इस प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा" के बिन्दु को शामिल करने हेतु।

26.7.2019
(संजय कुमार पाठक)
ज्वाइण्ट कमिश्नर(टी0आर0यू0) वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।

Scanned by CamScanner